नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर

क्रमांक /स्था. I/2021 दिनाँक /11/2021

आदेश

चयन समिति की अनुशंसा के अनुरूप अस्थाई रूप से संविदा आधार पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने के दिनाँक से छः माह की समयावधि के लिए पशुचिकित्सा पत्रोपाधि महाविद्यालय हेतु संविदा टीचिंग एसोसिएट्स के पद पर नियत मानदेय B.V.Sc. & A.H. हेतु प्रतिमाह रू. 25,000/- एवं M.V.Sc. & A.H./ Ph.D हेतु प्रतिमाह रू. 30,000/- की दर से निम्नानुसार उनके नाम के समक्ष दर्शाये गए पत्रोपाधि महाविद्यालय में नियोजित किया जाता है –

क.	नाम	श्रेणी	पदांकित स्थान
1	प्रतीक कुमार मिश्रा	अनारक्षित	वेटरनरी पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, रीवा
2	साहिल ठाकुर	अनारक्षित	वेटरनरी पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, जबलपुर
3	संतोष कुमार प्रजापति	अनारक्षित	वेटरनरी पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, मुरैना
4	ऋषिकांत चौरे	अनारक्षित	वेटरनरी पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, रीवा
5	महेन्द्र सिंह कुशवाहा	अ.पि.व.	वेटरनरी पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, जबलपुर
6	रीना धाकड़	अ.पि.व.	वेटरनरी पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, भोपाल

शर्तें:–

1. संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा आदेश जारी होने के 15 दिवस तक अपना पदभार ग्रहण नहीं करने की स्थिति में संविदा नियोजन बिना सूचना के निरस्त कर दिया जावेगा।
2. विश्वविद्यालय के कार्य से दौरे पर जाने पर यात्रा भत्ता विश्वविद्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुरूप देय होगा।
3. इस संविदा का पर्यावसान उसके जारी रहने के दौरान किसी भी समय किसी भी पक्ष द्वारा अन्य पक्ष को उस आशय में लिखित रूप से कम से कम 1 माह की सूचना देकर किया जा सकेगा।
4. इस संविदा के अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी विश्वविद्यालय के लिए विधि पूर्ण होगा कि वह इस संविदा के अस्तित्व में रहने के दौरान किसी भी समय सेवाएँ समाप्त कर दें।
5. नियुक्ति प्राप्त अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के तत्काल पश्चात् नियुक्ति प्राधिकारी के साथ स्वयं के व्यय पर 100 रू के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर संलग्न प्रारूप पर करार निष्पादित करना होगा।
6. संविदा नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी। संविदा आधार पर नियुक्ति की अवधि प्रथमतः 06 माह की होगी। तत्पश्चात् कार्य बहुत अच्छा (Very Good) होने पर नियोजन अवधि अधिकतम 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है।
7. संविदा नियोजन की दशा में संविदा टीचिंग एसोसिएट दी गई नियुक्ति के आधार पर उनके भविष्य में नियमितिकरण की माँग, किन्हीं पेंशन संबंधी सुविधाओं अथवा इत्यादि का हकदार नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी को भारतीय लोकतंत्र के प्रति सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी पूर्ण आचरण का निर्वहन करना पड़ेगा।
9. अभ्यर्थी को जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन का शारीरिक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रदाय करना होगा। अन्यथा मानदेय आहरित नहीं किया जावेगा।
10. उक्त चयन प्रकिया में इस विश्वविद्यालय द्वारा म.प्र. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) नियम 1994 के उपबंधों का पूर्णतः पालन किया गया है।
11. संविदा नियोजित सेवकों को 1 वर्ष में 13 आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी।
12. किसी भी प्राकर के वाद का कार्यक्षेत्र जबलपुर स्थित न्यायालय होगा।

कुलपति जी के आदेशानुसार

Sd/-

कुलसचिव

पृ.क्र 2501 / स्था. I / 2021 दिनाँक 17 / 11 / 2021

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निज सचिव, माननीय कुलपति जी, नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर।
2. अधिष्ठाता संकाय, नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर।
3. संचालक, वेटरनरी पॉलीटेक्निक, नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर।
4. प्रभारी प्राचार्य, वेटरनरी पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, जबलपुर / मुरैना / रीवा / भोपाल।
5. लेखानियंत्रक, नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर।
6. प्रभारी अधिकारी, विश्वविद्यालय वेबसाइट, नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर (आदेश को विश्वविद्यालय की वेबसाइट में अपलोड करना सुनिश्चित करें)।
7. शैक्षणिक शाखा, नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर।
8. सर्व संबंधित डॉ. .... ।
9. सुरक्षा नस्ती।

कुलसचिव